

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अजु अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागीर)

प्रार्थीगण

बनाम

अप्राथीगण

बाबू जहीरुदीन

जगदीश चौरस

किरम प्रकारण : रा.प्रा.पत्र

मुकदमा नं.-

06/15

तारिख हृत्थ	हुक्म या कार्यवाही इतिवितस जल	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुये।
05.01.15	<p>प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट संपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी व धारा 181 सीपीसी के तहत पेश किया है। प्रार्थना पत्र का दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जाये। पत्रावली दिनांक 25.02.2015 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">4</p>	
	<p>अकार/पक्षकारान क अधिवक्ता</p> <p><u>25/1/15</u></p> <p>दिनांक 25/1/15</p> <p>समस्त</p> <p>रजिस्टर</p> <p>24/1/15</p>	
	<p>अकार/पक्षकारान क अधिवक्ता</p> <p><u>24/1/15</u></p> <p>दिनांक 24/1/15</p> <p>समस्त</p> <p>रजिस्टर</p> <p>26/1/15</p>	
	<p>अकार/पक्षकारान क अधिवक्ता</p> <p><u>21/6/15</u></p> <p>दिनांक 21/6/15</p> <p>समस्त</p> <p>रजिस्टर</p> <p>15/9/15</p>	
	<p><u>15/9/15</u> - वकील प्रार्थी इपण अपार्थी सठ 3 की सील के वकील श्री मठडा के मूल कार्ड में वकालतनामा पेश किया। सील की तारीख 18/11/15 के अन्तगत में दिनांक 18/11/15 का पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">4</p>	

FORM NO. 3
फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑर्डर सीट)
(नियम 28)


की किस्म..... बनाम.....
 की संख्या..... वर्ष.....

क्र	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
	<p align="center">पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>25/1/17</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 12-5-15 को प्रस्तुत करें।</p> <p align="center">६</p>	
	<p align="center">पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>16.10.17</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 16-2-18 को प्रस्तुत करें।</p> <p align="center">६</p>	
62/18	<p>वकूल जार्जी उर्फ वकील जार्जी के विरुद्ध डी जाली है कि आगामी तारीख पेशी तक आवश्यक रूप से नोटिस तलबाना पेश करें। तलबी हेतु अनिम्न अवसर प्रदान किया जाता है। पेशावली दिनांक 26-2-18 को पेश हो।</p> <p align="center">१६</p>	
62/18	<p>पेशावली पेशा डुरी संश्लेषण के तदनुसार हेतु नोटिस तलबाना पेश करने के लिये वकील जार्जी व शर्मिष्ठा को जाली अवकाश लगे जार्जी परतु वाक ३५ की उपलब्ध नहीं हुए। तलबी के लिये वकील जार्जी व शर्मिष्ठा को तीन वर्ष</p>	

तारीख

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश

का समझ दिया जा चुका है इतना
समझ देने के उपरान्त भी नोडिफ
तलखाना पेश नहीं किया है इसलिए
प्राथमिकता का प्राप्ति पर अदम हाजरी
व अदम पेस्वी में खारीज किया
जाता है प्रजावली नम्बर से कम
होकर दफ्तर दाखिल हो।


उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर